उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग पर दिनांक 12-1-1983 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1983 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1) श्री बी0जे0खोदायजी		अध्यक्ष
(2) श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(3) श्री माता प्रसाद	सदस्य, विधान परिषद।	सदस्य
(4) श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
(5) श्री आर0एस0माथुर	सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन एवं आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
(6) श्री आर0सी0मंगल	निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की	सदस्य
(7) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(8) श्री त्रिवेणी सहाय	संयुक्त सचिव, वित्त, उ0प्र0शासन (सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1- दिनांक 23-11-1982 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।		प्रथम/(1)/83	परिषद की दिनांक 23-11-82 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की गयी:- 1- मद संख्या-2 के क्रम सं0-4 की पाँचवी पंक्ति में ''हुआ'' के स्थान पर ''किया'' शब्द लिख दिया जाय। 2- मद संख्या-2 के क्रम सं0-47 की तीसरी पंक्ति में ''लम्बित'' शब्द के आगे ''है'' शब्द जोड़ दिया जाय। 3- मद संख्या-35 में ''स्वीकृत'' शब्द के स्थान पर ''स्थगित'' लिख दिया जाय।
2- परिषद की बैठक दिनांक 23-11-82 की अनुपालन आख्या।		प्रथम/(2)/83	परिषद द्वारा दिनांक 23-11-82 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की समीक्षा की गयी और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- इस पुराने मामले में वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में शासन के आदेश अब भी

1	2	3	4

प्रतीक्षित है। मुख्य अभियन्ता आवास एवं विकास परिषद से अनुरोध किया गया कि वह आवास विभाग के सम्बन्धित संयुक्त सचिव से संपर्क कर उन्हें जो भी विवरण आवश्यक हों उपलब्ध करा दें ताकि शासन का आवास विभाग इस संदर्भ में वित्त विभाग की सहमति से शीघ्र ही आदेश पारित कर सके।

2- सहायक निदेशक(प्रचार) के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस पद को फिलहाल न भरा जाय और इसके स्थान पर उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति तथा प्रचार का पद सृजित कर उक्त पद पर पी0सी0एस0स्तर के वरिष्ठ वेतनमान के किसी उपयुक्त अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर ले लिया जाय। इस संदर्भ में एक विस्तृत टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में रखी जाय ताकि उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति एवं प्रचार के क्या पर्यवेक्षणिक कार्य होंगे। इस के बारे में निर्णय लिया जा सके इस पद के सृजन के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जा सके।

3- कानपुर व वाराणसी इकाईयों के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के सृजन का मामला अब भी शासन के आवास विभाग स्तर पर लम्बित बतलाया गया। यह निर्णय लिया गया कि आवास सचिव महोदय से संपर्क कर इन पदों की स्वीकृति यथाशीघ्र प्राप्त की जाय।

4- पूर्व संदर्भ के परिपेक्ष्य में मुरादाबाद व अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवास गृहों पर अनाधिकृत तथा कानून के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में उपर्युक्त निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा प्राप्त करने का भरपूर प्रयास आवास सचिव महोदय करने की कृपा करें और परिषद की अगली बैठक में मंत्री-परिषद द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराने का कष्ट करें।

5- इन्दिरा नगर लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर लम्बित कार्यवाही मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद अविलम्ब पूरी करा दें और अनुपालन आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्यमेव दें।

6- परिषद की निर्मित कालोनीज को नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में जो सूचनायें एकत्रित की गयी हैं। उन्हें अध्यक्ष महोदय के समक्ष रख कर उनकी ओर से माननीय आवास मंत्री जी के लिये पत्र शीघ्र

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			भिजवाया जाय ताकि माननीय आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक संपन्न करा-कर निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को यथाशीघ्र हस्तान्तरित किया जा सके।
		7-	परिषद के लेखों के समायोजन तथा मिलान एवं लेखा मेनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में अद्यावधि प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने इस सम्बन्ध में अब तक की गयी प्रगति पर गहरा असंतोष प्रकट करते हुये यह निर्णय लिया कि अवशेष कार्य समयबद्ध ढंग से संपन्न कराया जाय और परिषद की प्रत्येक बैठक में इन कार्यों की वास्तविक तथ्यात्मक प्रगति की जानकारी दी जाय। लेखा समायोजन के कार्य को सम्पादित करने के लिये निम्नवत् समयबद्ध कार्यक्रम ज्येष्ठ लेखाधिकारी से मालूम करके निश्चित किया गया:- 1-अप्रैल-1975 से मार्च-1980 तक का बकाया कार्य। — 30 जून, 1983 तक 2-अप्रैल-1980 से दिसम्बर, तक का बकाया कार्य। — सितम्बर, 1983 तक
	1982		यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार प्रतिमाह के लिये निश्चित एवं सुनियोजित कार्यक्रम बनाया जाय और तदनुसार लेखों का समाधान कराया जाय और मासिक प्रगति से परिषद को समय-समय पर अवगत कराया जाय।
			यह भी निर्णय लिया गया कि जनवरी-1983 तथा आगे आने वाले महीनों का कार्य साथ-साथ संपन्न होता रहे ताकि आगे भूतकाल में जैसी चिन्ताजनक स्थिति सामने आई, भविष्य में उत्पन्न न हो।
		8-	आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम लश्करपुर की भूमि के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संदर्भ में जिलाधिकारी आगरा को शासन द्वारा शीघ्र ही उपयुक्त एवं कठोर आदेश भिजवा दिया जाय।
			यह भी निर्णय लिया गया कि अवशेष भूमि के सम्बन्ध में माननीय आवास मंत्री जी के स्तर पर प्रस्तावित बैठक शीघ्र आयोजित करा कर परिषद के पक्ष में उपयुक्त निर्णय कराया जाय।
		9-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 में प्रस्तावित संशोधनों की एक संहत सूची अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद से पूर्ण परामर्श कर, शीघ्र उसे तैयार कराकर पुनरीक्षण हेतु परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
		10-	पिथौरागढ़ तथा मंसूरी नगरों के लिये धारा-28 के प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखा जाय।
		11-	रानीखेत नगर की योजना के लिये चयनित

क्र0प0उ0

1	2	3	4
			स्थल के सम्बन्ध में धारा-28 का प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखा जाये।
		12-	गोपेश्वर नगर जनपद चमोली की एक योजना जो सबसे उपयुक्त हो उससे सम्बन्धित धारा-28 का प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखा जाये।
		13-	हरिद्वार तथा आशोपुर नगरों के लिये आवासीय योजनाओं से सम्बन्धित धारा-28 का प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखा जाय।
		14-	प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के संबंध में अन्य प्रदेशों की आवास परिषदों से जो भी सूचनायें अब तक आ गयी हों के आधार पर मुख्य अभियन्ता और ज्येष्ठ लेखाधिकारी आवास एवं विकास परिषद यह देख लें कि प्रशासनिक व्यय में किन-किन मदों में कटौती किया जाना संभव है। इन अधिकारियों की आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्य आनी चाहिये।
		15-	मोदीनगर में हापुड़-रोड पर योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में धारा-28 का प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखा जाये।
		16-	निर्माण कार्यों इत्यादि की समीक्षा करने के लिये कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लाये जा रहे विस्तृत प्रोफार्मा पर आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने में अत्याधिक विलम्ब हो चुका है। अगली अनुश्रवण समिति की बैठक जो 25-2-83 को होगी और परिषद की बैठक जो 26-2-83 को होगी में इस प्रोफार्मा के अन्तर्गत ही आंकड़े तथा सूचनायें इन बैठकों में अवश्यमेव रखी जानी चाहिये।
		17-	दुर्बल आय वर्ग के भवनों में सीमेंट की छत के स्थान पर जेक आर्च की छत डालने के बारे में निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रूड़की द्वारा प्रयुक्त डिजाइन की डिटेल्स शीघ्र प्राप्त किया जाये और उनका कार्यान्वयन अविलम्ब प्रारम्भ किया जाये।
		18-	गोरखपुर नगर में स्व: वित्त पोषित उच्च आय वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
		19-	चौक क्षेत्र लखनऊ में महात्मा गांधी स्मारक हास्पिटल के आस-पास की भूमि में परिषद की आवासीय योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठित उप समिति का स्थल निरीक्षण शीघ्र कराया जाय और उप समिति की रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
		20-	लखनऊ में माननीय विधायकों के लिये स्व: वित्त पोषित आवासीय योजनान्तर्गत आवास गृहों के निर्माण की प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में शासन का आदेश शीघ्र प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जाय क्योंकि यह मामला काफी पुराना हो गया है और माननीय विधायकगण बार-बार स्मरण करा रहे हैं।

क्र0प0उ0

1	2	3	4
			21- सुल्तानपुर नगर की आवासीय योजना हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं उनके आधार पर धारा-28 का प्रस्ताव तैयार करके परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखा जाय।
			22- देवपुर पारा तथा राजाजीपुरम् एप्रोच रोड योजनाओं का प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखा जाय।
			23- वर्ष-1974-75 के बाद के परिषद के विभिन्न वर्षों के बजट और पक्का चिट्ठा (Balance sheet) जो विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे उसे अविलम्ब रखवाने की व्यवस्था की जाय क्योंकि बजट सत्र फरवरी-1983 के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ होगा।
			24- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, कानपुर की भूमि के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के समक्ष चल रही कार्यवाही शीघ्र ही पूरी कराने का प्रयास किया जाय।
			25- ग्रीन बेल्ट में कितनी प्रतिशत भूमि पर निर्माण हेतु अनुमति दी जा सकती है के बारे में गाइड-लाइन्स बनाकर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की संस्तुतियाँ शीघ्र ही प्राप्त की जाय और परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।
			26- बांदा जनपद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बांदा में समाविष्ट खसरा नं0-972 को योजना में सम्मिलित कराने के लिये शासन स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी करायी जाय।
			27- शाहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शाहाबाद जनपद हरदोई में शाहाबाद तहसील से सम्बन्धित राजस्व भवनों के निर्माण हेतु जिलाधिकारी द्वारा की गयी माँग के सम्बन्ध में लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी करायी जाय और आख्या परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।
			28- इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में निर्मित पक्के चबूतरों के आवंटन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने निर्णय लिया कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुये विस्थापित लोगों को मूल्य में छूट पहले ही दी जा चुकी है अतः उनसे अन्य व्यवसायिक सम्पत्तियों की तरह ही धनराशि उन्हीं शर्तों पर उसी अवधि में वसूल करने की कार्यवाही की जाय।
			29- दोहरीघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना आजमगढ़ में निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से शीघ्र ही तिथि निश्चित कराई जाय और उनका सहयोग प्राप्त कर कार्य संपन्न कराया जाय।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
		30-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियम-1973 को सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)के लिये लागू करने हेतु विनियमावली का आलेख्य अविलम्ब तैयार कराया जाय और परिषद के विचारार्थ अगली बैठक में रखा जावे।
		31-	हापुड़-गाजियाबाद मार्ग पर आवास योजना सं0-1, पिलखुआ के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता जल निगम के साथ विचार विमर्श कर मुख्य अभियन्ता उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अपनी आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखें।
		32-	माल एवेन्यू योजना लखनऊ में निर्मित भवनों के आवंटन के समय निर्माण की स्थिति आदि से सम्बन्धित पूर्ण विस्तृत विवरण सहित आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाय।
		33-	इलाहाबाद में श्रीमती माजिदा बेगम को भवन प्रदेशन करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद से पूर्ण विवरण प्राप्त कर परिषद के विचारार्थ अगली बैठक में रखा जाय।
		34-	परिषद के रिवाल्विंग फण्ड के सम्बन्ध में कारपोरेट प्लान के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियन्ता और ज्येष्ठ लेखाधिकारी संयुक्त रूप से विचार विमर्श कर यह इंगित करें कि कारपोरेट प्लान को लागू करने के लिये आगामी वर्षों में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह किन-किन श्रोतों से प्राप्त की जायेगी। दोनों अधिकारियों की आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय।
		35-	एक्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ नियुक्ति के सम्बन्ध में विज्ञापन निकाल कर शीघ्र चयन की कार्यवाही संपन्न करायी जाय।
		36-	परिषद में ज्येष्ठ उप महालेखाकार स्तर के अधिकारी की तैनाती जो वित्तीय परामर्शदाता के रूप में होगी के विषय में कम्पट्रोलर तथा आडिटर जनरल न्यू दिल्ली को शासन के वित्त विभाग स्तर से एक पत्र शीघ्र भिजवाया जाय।
		37-	दुर्बल आय वर्ग हेतु जो भवन बनाये जा रहे हैं उनमें भूमि के मूल्य में वित्तीय अनुदान देने के लिये एक विस्तृत टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाय।
		38-	किस्त क्रय पद्धति पर आवंटित भवनों के किस्तों की वसूली की दयनीय स्थिति पर गम्भीरता से विचार किया गया। परिषद को इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी करायी गयी जिसमें सभी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी। परिषद ने निर्णय लिया कि वसूली बढ़ाने का हर संभव और प्रभावी कार्यवाही की जाय और परिषद की विभिन्न योजनाओं का वितरण मुख्यालय के अधिकारियों के बीच में कर दिया जाये और उन पर उत्तरदायित्व डाला जाय कि वह समय समय पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में जाकर लेजरों के रख-रखाव, वसूली की स्थिति तथा सामयिक विवरणों के प्रेषण की स्थिति आदि को ध्यान पूर्वक देखते रहें और वसूली में अपना सक्रिय योगदान दें।

1	2	3	4
			यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद को प्रत्येक बैठक में वसूली की स्थिति जो प्रत्येक सम्पत्ति कार्यालय की अध्यावधि होनी चाहिये से अवगत कराया जाय। जो विवरण परिषद को प्रस्तुत किया जाय उसमें बकाया और वर्तमान मांग के सम्बन्ध में क्या वसूली हुई है का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये।
		39-	वाह्य विधुतीकरण हेतु उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के पास काफी दिनों से लम्बित भारी धनराशि के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि योजनावार देख लिया जाय कि राज्य विद्युत परिषद को दी गयी धनराशि पर अब तक क्या कार्यवाही उन्होंने की है और शीघ्र ही उनके स्तर से लम्बित कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय। यदि राज्य विद्युत परिषद अकारण और अनावश्यक रूप से धनराशि अपने पास रखे हुये है उनसे व्याज आवास परिषद को दिलवाने के लिये मांग की जाय।
		40-	श्री बी0एन0शर्मा, सहायक अभियन्ता की अपील की सुनवाई हेतु परिषद व्दारा गठित समिति की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर आख्या अगली बैठक में रखी जाय।
		41-	आपसी वार्ता व्दारा भूमि क्रय करने के संबंध में गठित समिति के कार्य संचालन हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार कर अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किया जाय।
		42-	परिषद को अवगत कराया गया कि जिन 22161 सम्पत्तियों का आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है उनमें से लगभग 10,000 सम्पत्तियों का मूल्यांकन शीघ्र ही किये जाने वाला है। परिषद ने निर्णय लिया कि मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि जो सम्पत्तियाँ पूर्ण दर्शायी गयी हैं उनका मूल्यांकन अभिलेख मूल्यांकन करने हेतु बिना और विलम्ब किये मूल्यांकन अधिकारी के पास भेज दिया जाय ताकि उनका आवंटन संभव हो सके। मुख्य अभियन्ता व्दारा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना परिषद की अगली बैठक में दी जाय।
		43-	मूलधन एवं व्याज की गणना अलग अलग करके उनकी प्रविष्टियाँ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में करने हेतु दिये गये परिषद निर्देशों की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने निर्णय लिया कि यह कार्य जिन सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में अभी तक नहीं किया गया है उनसे सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्धकों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय और उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।
		44-	परिषद योजनाओं में निर्माणों के समायोजन हेतु भूमि छोड़े जाने के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण शीघ्र ही किया जाय और परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
		45-	श्री लईक अहमद, जमादार, राज्यपाल, उ0प्र0 राज्य भवन, लखनऊ को हल्दवानी योजना में एक दुर्बल आय वर्ग का भवन प्रदिष्ट करने का जो निर्णय लिया गया था उसकी जानकारी राज्यपाल के सचिवालय को तत्काल कराई जाय।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्य-कलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	प्रथम/(3)/83	परिषद ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हुये निर्माणों की प्रगति की समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक दशा में पूरा किया जाना चाहिये। बैठक में बताया गया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो ''साइट एण्ड सर्विसेज बन गये हैं में प्रदेशनगृहीता जिस गति से उन्हें निर्माण करना चाहिये नहीं कर रहे हैं। परिषद ने निर्णय लिया कि इस योजना का मूल्यांकन(Evaluation) बी0बी0आर0आई0 की द्वारा कराया जाय और बी0बी0आर0आई0 से सुझाव मांगा जाय कि इस योजना में क्या सुधार किया जाय कि इसकी ओर सबसे गरीब श्रेणी के लोग और सुचारु रूप से आकृषित हो सकें। 2-(I) निर्माण कार्यों की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि परिषद को दिसम्बर-1982 तक भूमि का कब्जा मात्र 270 एकड़ का प्राप्त हुआ है। परिषद ने इस स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और यह लिया कि वित्तीय वर्ष-1982-83 के लिये भूमि अर्जन के मद में जो बजट में प्राविधान किया गया है के अन्तर्गत जो शेष अवितरित धनराशि है उसे तुरन्त ही सम्बन्धित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय ताकि प्रतिकर के वितरण की समस्याएं विशेष कर धारा-7/17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा लेने के बाद उत्पन्न हुई है का वास्तविक समाधान हो जाय। (II) यह भी निर्णय लिया गया कि शासन के राजस्व सचिव महोदय के स्तर पर एक बैठक तुरन्त ही बुलायी जाय जिसमें इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय कि परिषद से भूमि अर्जन हेतु उतनी ही धनराशि ली जाय जितनी वास्तव में वितरित हो सकती है अन्यथा बहुत दिनों तक ऐसी धनराशि अवितरित रहने में एक ओर तो परिषद को इस धनराशि पर मिलने वाले व्याज से वंचित रहना पड़ता है और दूसरी ओर परिषद इस धनराशि का और कहीं उपयोग नहीं कर पाती। शासन के राजस्व विभाग से यह भी अनुरोध किया जाय कि वह आवास एवं विकास परिषद के सम्बन्ध पहले से जो शासनादेश प्रचलित थे उसी के अनुसार भूमि अर्जन हेतु धन जमा करने के आदेश पुनः निर्गत करने की कृपा करें। (III) यह भी निर्णय लिया गया कि जहाँ भूमि अर्जन में काफी समय लगता है वहाँ कैतोहर व्यक्तियों को उचित प्रतिकर देने के उद्देश्य से क्या ''एक्सग्रेशिया पेमेन्ट'' दिया जा सकता है या नहीं इसका विधिक परीक्षण करा लिया जाय।

कृ0प0उ0

1	2	3	4

3- परिषद को जानकारी में लाया गया कि काफी संख्या में भूखण्डों के लिये लोगों ने पंजीकरण करा रखा है और वर्षों व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक परिषद पंजीकृत व्यक्तियों को भूखण्ड उपलब्ध नहीं करा सकी है। परिषद ने निर्णय लिया कि पुराने पंजीकृत व्यक्तियों को भूखण्ड निकट भविष्य में उपलब्ध कराया जा सके इस हेतु व्यापक स्तर पर भूखण्डों के विकास के कार्य पूर्ण कराये जायें।

4- दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के संदर्भ में ज्येष्ठ लेखाधिकारी ने परिषद को अवगत कराया कि बैंकों से विभिन्न शीर्षकों में लेखा तो आ रहे हैं किन्तु मुख्यालय पर लेजर नहीं खोले गये हैं। परिषद ने निर्णय लिया कि लेजर खोलने का कार्य समयबद्ध ढंग से अविलम्ब सम्पन्न कराया जाय।

5- लेखा मैनुअल तैयार कराने के सम्बन्ध में परिषद ने निर्णय लिया कि इन्स्टीच्यूट आफ कोआपरेटिव मैनेजमेंट स्टडी रिसर्च सेन्टर तथा निदेशक कोषागार से सम्पर्क किया जाय और इनमें से जो भी एजेन्सी उपयुक्त हो उनके द्वारा लेखा मैनुअल तैयार कराने का कार्य तुरन्त ही प्रारम्भ हो।

6- सहायक लेखाकारों/ लेखाकारों के प्रशिक्षण के संबंध में लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी करायी जाय और इन्स्टीच्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडी हैबलपमेंट के निदेशक श्री नटराजन से अनुरोध किया जाय कि वह इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय से भेंट करलें ताकि कोई निश्चित रूपरेखा प्रशिक्षण की बनायी जा सके।

7- ज्येष्ठ लेखाधिकारी द्वारा परिषद की गत 3 वर्षों की बैलेन्सशीट बनाने के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही की जानकारी करायी गयी। परिषद ने ज्येष्ठ लेखाधिकारी के विचार जानने के बाद निम्नलिखित समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जिसका कार्यान्वयन कठोरता तथा सावधानी से भविष्य में होना चाहिये:-

वर्ष	माह जब तक बैलेंसशीट तैयार लिया जायेगा।
1979-80	जनवरी-1983 तक
1980-81	अप्रैल-1983 तक
1981-82	जुलाई-1983 तक
1982-83	अगस्त-1983 तक

यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की प्रत्येक बैठक में बैलेंस शीट बनने की प्रगति की जानकारी ज्येष्ठ लेखाधिकारी कराते रहेंगे।

8- परिषद की जानकारी में लाया गया कि धारा-28 के अन्तर्गत के प्रस्ताव इस कारण से परिषद में निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि परिषद ने वर्ष-1981 के सितम्बर में निर्णय लिया था कि ऐसे सभी प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से आने चाहिये और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कतिपय कारणों से नहीं हो पा रही है। परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय कि कि जो 20 योजनायें आ गयी हैं और परिपक्वावस्था है उनके सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी के निरीक्षण से छूट दे दी

1	2	3	4
			जाय और उन सबसे सम्बन्धित धारा-28 के प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य रख दिये जायें।
4-	श्रीमती शैल तिवारी को प्रदिष्ट उच्च आय वर्ग भवन सं0-967/13 के निरस्तीकरण पर कटौतियों का माफ किया जाना।	प्रथम/(4)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती शैल तिवारी के मामले में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय क्योंकि उनसे की गयी कटौती माफ करना नियमानुसार संभव नहीं है।
5-	श्री गुलाब मेहरा को विदेशी मुद्रा में आवंटित भूखण्ड सं0-169 का भुगतान देशी मुद्रा तथा किस्तों में किया जाना।	प्रथम/(5)/83	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
6-	स्व0श्री मुरारी लाल, मुख्य लिपिक, टि0नि0इ0, गोरखपुर की विधवा को परिषद में सेवक लिपिक के पद पर नियुक्ति करने हेतु आयु एवं शैक्षिक योग्यता में छूट देने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(6)/83	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को विशेष अनुकम्पा के आधार पर स्वीकृत किया।
7-	कमला नगर योजना के सेक्टर-11 व 12 में 36 गैरेज एवं 36 सर्वेन्ट क्वार्टर का निर्माण।	प्रथम/(7)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि कमला नगर योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे ऐसे गैराज और सर्वेन्ट क्वार्टर्स का प्रयोग कैसे किया जायेगा और किन किन व्यक्तियों को यह आवंटित किया जायेगा इसका परीक्षण इसी बीच करके निश्चित प्रस्ताव परिषद के समक्ष अगली बैठक में रखा जाय।
8-	चतुर्थ हडको परियोजना के अन्तर्गत नेहरु नगर योजना सं0-1 देहरादून में प्रस्तावित अल्प आय वर्ग के एल0-4/79 प्रकार के 163 एवं दु0आ0व0 के डब्लू0-4/79 प्रकार के 288 भवनों का निर्माण।	प्रथम/(8)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
9-	कटरा भूमि विकास योजना बस्ती के अन्तर्गत प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग के 43/120 प्रकार के 39 भवनों का निर्माण।	प्रथम/(9)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
10-	कटरा भूमि विकास योजना बस्ती में द्वितीय हडको कम्पोजिट परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दु0आ0व0 के 15/40 प्रकार के 233, अ0आ0व0 के 18/56 प्रकार के 90 एवं मध्यम आय वर्ग के 43/120 प्रकार के 28 भवनों का निर्माण।	प्रथम/(10)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

क्र0पृ0उ0

1	2	3	4
11-	अशफाक उल्लाह योजना फैजाबाद में 9 दुकानों एवं 2 कोस्कों का निर्माण।	प्रथम/(11)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
12-	परिषद की शाहपुर योजना 2/3 गोरखपुर में 25 दुर्बल आय वर्ग के हल्यू0-3/79 प्रकार के भवनों का निर्माण।	प्रथम/(12)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
13-	परिषद मुख्यालय पर एवं पी0आर0ओ0कार्यालय एवं एक कार्यालय हाल का निर्माण।	प्रथम/(13)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
14-	इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के सेक्टर 4, 6व 7 में प्रस्तावित स्वतः पोषित योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के 95/253 प्रकार के क्रमशः 5, 18 व 20 भवनों का निर्माण।	प्रथम/(14)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।
15-	कानपुर योजना संख्या-1 में प्रथम हडको परियोजना के अन्तर्गत 100 अ0आ0व0 एवं 200 मध्यम आय वर्ग भवनों का निर्माण।	प्रथम/(15)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दी।
16-	कस्तौली गाजीपुर (इन्दिरा-नगर) योजना, लखनऊ में समाविष्ट श्री लीलानन्द जोशी की भूमि संख्या-93/19 के सम्बन्ध में।	प्रथम/(16)/83	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री लीलानन्द जोशी की भूमि खाता सं0-93/19 जो अध्याप्ति की जा चुकी है और जिसका कब्जा भी परिषद को मिल चुका है उसे विधि के अनुसार अर्जन से मुक्त करना संभव नहीं है। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि में से श्री जोशी को केवल उतनी ही भूमि जिस पर उनके द्वारा निर्माण कराया गया है तथा उससे सम्बद्ध आवश्यक भूमि (निर्धारित मानक के अनुसार) उन्हें विकसित मूल्य पर आवंटित कर दी जाय। श्री जोशी अपनी अध्याप्ति की गयी भूमि का नियमानुसार प्रतिकर पाने के अधिकारी रहेंगे।
17-	स्व0श्री ओ0पी0शर्मा को नकद क्रय पद्धति पर राम सागर मिश्र नगर योजना के अन्तर्गत प्रदिष्ट उच्च आय वर्ग भवन सं0-ए0-509 को किस्तों में किया जाना।	प्रथम/(17)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि स्वर्गीय श्री ओ0पी0 शर्मा की विधवा श्रीमती शीला शर्मा यदि चाहें तो उन्हें मध्यम आय वर्ग का भवन आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है किन्तु इसके लिये उन्हें एक मुश्त धनराशि देनी होगी। यदि श्रीमती शर्मा इसके लिये तैयार हों तो उन्हें अवशेष रिक्त कोई मध्यम आय वर्ग का भवन प्रदेशित कर दिया जाय। श्रीमती शर्मा का पंजीकरण पुनर्जीवित करते समय की गयी कटौतियाँ माफ करना संभव नहीं है। उन्हें की गयी कटौतियों का भी भुगतान करना होगा।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
18-	कुर्सी रोड योजना, लखनऊ के सेक्टर-6 में तृतीय हडको परियोजना के अन्तर्गत 2/30 प्रकार के 517 नग साइट एण्ड सर्विसिज का निर्माण।	प्रथम/(18)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।
19-	अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(19)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो समिति गठित करनी है, मेंपरिषद की ओर से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को सदस्य नामित कर दिया जाय।
20-	हडको द्वारा वित्त पोषित एम0आई0जी0 हाउसिंग स्कीम शैलपुरा योजना वाराणसी (स्कीम नं0-2218)	प्रथम/(20)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दे गई।
21-	हडको परियोजना के लिये ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(21)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी।
22-	श्री आर0सी0सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता (निलम्बित) के विरूद्ध विभागीय जाँच में प्राप्त रिपोर्ट पर विचार।	प्रथम/(22)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री आर0सी0सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता (निलम्बित)के विरूद्ध चलायी जा रही विभागीय जाँचों के सम्बन्ध में जो 4 आख्यायें प्राप्त हो गयी हैं, का परीक्षण निम्न सदस्यों की एक उप समिति शीघ्र ही करलें और उप समिति की आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करें:- 1- श्री बी0जे0बोदायजी अध्यक्ष 2- श्री आर0सी0मंगल, निदेशक, सी0बी0आर0 आई0 3- श्री त्रिवेणी सहाय, संयुक्त सचिव, वित्त। उक्त उप समिति की बैठक दिनांक 28/29-1-1983 को आहुत की गई।
23-	परिषद द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम के सम्बन्ध में अनुबन्ध के प्रारूप का अनुमोदन।	प्रथम/(23)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी गई।
24-	परिषद भूखण्डों के विनियम 22 के अन्तर्गत परिषद को वापसी तथा निर्माण अवधि समाप्त होने पर लेवी का लगाया जाना।	प्रथम/(24)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि जो शुल्क लिया जाय उसका नाम ''लेवी'' न रखा जाय अपितु ''अनिर्माण शुल्क'' नाम से इसे रखा जाय।
25-	एक ही दौर में एक से अधिक पंजीकृत सहकारी आवास समितियों को भूखण्ड प्रदेशन की प्रक्रिया का निर्धारण।	प्रथम/(25)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पंजीकृत सहकारी समितियों को भूखण्डों का प्रदेशन दौर की वरीयता के आधार पर ही किया जाय। आवंटन हेतु जो समिति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें उनको पंजीकरण दौर की वरीयता के आधार पर अलग अलग कर

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			लिया जाय और वरीयतानुक्रम के अनुसार सहकारी आवास समितियों के नाम लाटरी हा में सम्मिलित किये जाय। जिस समिति का नाम लाटरी हा में पहले निकले उसके द्वारा सम्बन्धित दौर में जितने सदस्यों के नाम पंजीकृत किये गये हों उन सभी को एक साथ भूखण्ड आवंटित कर दिये जायें। यदि कुछ भूखण्ड इस कार्यवाही से बच जाते हैं तो दूसरी समिति का नाम लाटरी से लिया जाय और उसी प्रकार कार्यवाही करके भूखण्ड आवंटित किये जाने चाहिये।
26-उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-89(1)के अन्तर्गत परिषद के अभिलेखों की प्रतिलिपियों को प्रमाणित करने के लिये अधिकारियों को अधिकृतकरने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(26)/83		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
27-बीरो रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखीमपुर खीरी में समाविष्ट कथोलिक हायसिस की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रथम/(27)/83		परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
28-अध्यक्ष की अनुमति से	प्रथम/(28)/83		1- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री राम पाल सिंह द्वारा इस आशय का प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत हुआ कि 2% भवन का आवंटन परिषद के अध्यक्ष के विवेक पर रखा जाय। आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थितियों को देखते हुये अध्यक्ष द्वारा उनका आवंटन हो। परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण करके उसे परिषद की अगली बैठक में रखा जाय। (2) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से राजाजी-पुरम आवासीय योजना में श्री दशमेश गुरू सिंह सभा द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना-पत्र पर विचार हुआ जिसमें उक्त सभा ने यह चाहा था कि उन्हें छूट देते हुये गुरुद्वारे के लिये आवंटित भूमि 65/- प्रति वर्गमीटर दर पर दी जाय। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन समिति द्वारा सम्बन्धित भूखण्ड का जो मूल्य निर्धारित किया गया है उसमें कोई छूट न दी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि अगली बैठक दिनांक 26-2-1983 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गई

26/2/1983

अध्यक्ष